चुनाव आयोग ने मोदी के आगे घुटने टेके

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 12 अक्टूबर की शाम को होनी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोती ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। साथ में यह भी कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी लेकिन दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 18 दिसंबर को की जाएगी। उन्होंने गुजरात की तारीख घोषित न होने की कोई ठोस वजह नहीं बताई। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि चुनाव आचार संहिता कहां-कहां लागू होगी, उन्होंने कहा कि हिमाचल में लागू हो चुकी है लेकिन गुजरात में तारीख घोषित होने के बाद लागू होगी।

चुनाव आयोग के इतिहास में ऐसी हरकत कभी नहीं हुई थी। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के कहने पर गुजरात चुनाव की तारीख की घोषणा रोक दी। एक ऐसी आजाद संस्था जिसको असीमित अधिकार मिले हुए हैं, उसने पीएमओ के आगे घुटने टेक दिए।

दरअसल, मोदी को 17 अक्टूबर से गुजरात का दौरा करना है और कई घोषणाएं करनी हैं। अगर उस दिन गुजरात चुनाव की तारीख भी घोषित हो जाती तो आचार संहिता लागू हो जाती और मोदी गुजरात जाकर कोई घोषणा नहीं कर पाते।

नियमों का उल्लंघन

लेकिन चुनाव आयोग ने अपने बनाए नियमों को तोड़ दिया। टी. एन. शेषन ने जो गरिमा इस आयोग की बनाई थी, उसे मौजूदा चुनाव आयुक्त ने तार-तार कर दिया। नियम यह है कि जब दो राज्यों का कार्यकाल एक ही समय खत्म हो रहा है तो वहां चुनाव भी एक साथ होंगे या उनकी तारीख एक साथ घोषित की जाएगी। इसके अलावा चुनाव की तारीख हमेशा राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा कर घोषित की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने न तो हिमाचल और न ही गुजरात के मामले में एक बार भी राजनीतिक दलों से कोई सलाह ली। हां, अगर उसने बीजेपी से कोई सलाह ली हो तो अलग बात है।

गुजरात में आचार संहिता

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो एक गंदी हरकत की वह यह कि आप जब गुजरात में वोटों की गिनती किए जाने की तारीख 18 दिसंबर बता रहे हो तो ऐसे में वह राज्य चुनावी मोड में आ ही गया है और वहां आचार संहिता भी लागू कर दी जानी चाहिए लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्रकार के सवाल के जवाब में साफ कहा कि वहां आचार संहिता लागू नहीं है। पत्रकार के यह पूछने पर भी कि जब आप वोटों की गिनती की तारीख बता रहे हैं तो एक तरह से चुनाव वहां भी तय हो गए। मुख्य चुनाव आयुक्त इस सवाल को टाल गए। इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए कि जब गुजरात में वोटों की गिनती की तारीख बता दी जाए तो क्या वहां आचार संहिता लागू मानी जाएगी लेकिन मीडिया ने न तो यह सवाल उठाया और न ही इस पर कोई बहस छेड़ी।

नमक का कर्ज उतारा जा रहा है

मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोती गुजरात कैडर का आईएएस अधिकारी है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यह शख्स गुजरात का चीफ सेक्रेटरी रहा। 2013 में यह शख्स बतौर आईएएस रिटायर हो गया। लेकिन मोदी जब केंद्र में आ गए तो इसे चुनाव आयोग में 8 मई 2015 को लेकर आए और पूर्व चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के रिटायर होते ही इसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। जोती फौरन ही मोदी भक्ति में जुट गए। जोती इस पद पर 17 जनवरी 2018 तक रहेंगे। भारत में आईएएस लाबी नेताओं को खुश करने में हमेशा आगे रहती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें अच्छा पद और रुतबा चाहिए होता है। नेता भी ऐसे अफसरों का जमकर इस्तेमाल करते हैं। जोती और मोदी गुजरात में एक दूसरे के राजदार हैं। मोदी ने गुजरात में जोती की सेवाओं के बदले उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त जैसा पद सौंप दिया। अब जोती को भी नमक का कर्ज उतारना है तो पीएमओ के कहने पर जोती ने गुजरात चुनाव की तारीख की घोषणा रोक दी। गुजरात में तीन बार बेखटके राज करने वाले मोदी और बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, इसलिए मोदी गुजरात को यह संदेश देने में जुटे हैं कि दिल्ली जाकर भी गुजरात उनका पहला प्यार है। अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन इसी प्यार का नतीजा है। देखना है कि गुजराती लोग मोदी के प्यार पर अपना कितना वोट न्यौछावर करते हैं।

महात्मा गांधी से क्यों डरता है आरएसएस

-रज्जन सैमोयूकि

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अगर किसी से डर लगता है तो वह हैं महात्मा गांधी। संघ गांधी की छवि को खराब करने के लिए एक सुनियोजित साजिश लगातार कर रहा है। लेकिन जब से केंद्र में उसके राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से इन साजिशों को संस्थागत रूप दे दिया गया है। यह गौर करने वाली बात है कि हिंदू आतंकवाद फैलाने से जिन संगठनों का नाम जुड़ा रहा है, अब उनके चेहरे बहुत सम्मानजनक तरीके से सामने लाए जा रहे हैं।

हाल ही में अभिनव भारत ट्रस्ट और संघ से जुड़े डॉ. पंकज फणनवीस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि 30 जनवरी 1948 को जिस गांधी की हत्या की गई थी, उस हत्याकांड की जांच दोबारा की जाए। उस याचिका में कहा गया है कि गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने नहीं बल्कि उस तीसरे शख्स ने की थी, जो आज तक कभी पकड़ा नहीं गया और न ही उसका नाम सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम किंतु परंतु के साथ इस मामले में सीनियर वकील अमरेंद्र शरण को कोर्ट सलाहकार नियुक्त कर दिया कि वह अदालत को इस मामले में सहयोग करें।

सुप्रीम कोर्ट जिसके पास असंख्य मामले लंबित हैं, उसने इस मामले को बेहद जरूरी मानते हुए स्वीकार कर लिया और 30 अक्टूबर को अगली तारीख दे दी। यानी संकेत यही है कि इस याचिका पर बहुत तेजी से सुनवाई के मूड में है सुप्रीम कोर्ट। सवाल यही है कि आखिर संघ गांधी से इतना डरा हुआ क्यों है, गांधी का भूत उसे क्यों सताता रहता है।

गांधी ने पाकिस्तान बनने दिया, यह विवाद का विषय हो सकता है, गांधी ने जिन्ना से कम काबिल जवाहर लाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनने दिया, यह भी विवाद का विषय हो सकता है और यह भी कि अगर गांधी जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनने देते तो पाकिस्तान नामक देश खड़ा नहीं होता...लेकिन इस सच्चाई में कोई शक नहीं है कि अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में गांधी की बड़ी भूमिका रही है और उस समय आरएसएस अंग्रेजों की चाटुकारिता में लिप्त था। उसके हिमायती बंकिम चंद्र चटोपध्याय आनंदमठ उपन्यास लिखकर अंग्रेजों की चाटुकारिता की सलाह दे रहे थे।

यानी आरएसएस का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है, जिसे संघ इतिहास के पन्नों से कभी मिटा नहीं पाएगा। संघ को पता है कि गांधी बेशक विश्व में एक अलग छवि रखते हों लेकिन भारत में उनकी छवि को वह बदनाम तो कर ही सकता है या उनके जरिए जवाहर लाल नेहरू की छवि को और भी खराब किया जा सकता है।

गांधी की जिंदगी में ही संघ जो उस समय हिंदू महासभा की शक्ल में भी था, उसने गांधी के चरित्र को खराब तरीके से पेश करने का सिलसिला शुरू किया। उसकी शाखाओं में गांधी के खिलाफ विष वमन किया गया। फिर माउथ पब्लिसिटी के जरिए उस बात को भारत भर में फैलाया गया। संघ को यह बात हमेशा कचोटती रही कि कांग्रेस और उस समय मुस्लिम लीग के मुकाबले उसके पास कोई प्रतीकात्मक हीरो नहीं है। इसलिए वह बार-बार गांधी पर कभी सीधे तो कभी दाएं-बाएं होकर हमले करती रही। लेकिन वह गांधी के मुकाबले कोई प्रतीक खड़ा नहीं कर सकी। फिर उसने फर्जी राष्ट्रवाद का भूत खड़ा किया जो गांधी और बी. आर. आंबेडकर की धर्मनिरपेक्ष छवि का मुकाबला कर सके। फर्जी राष्ट्रवाद के नारे का चयन संघ ने पाकिस्तान बनने के बाद किया।

अभिनव भारत ट्रस्ट का संबंध

मालेगांव ब्लास्ट, अजमेर शरीफ दरगाह के पास विस्फोट, समझौता एक्सप्रेस विस्फोट में जिन लोगों के नाम आए और फिर देश को पता चला कि हिंदू उग्रवाद को बाकायदा संगठित तरीके से खड़ा किया जा रहा है। उसी दौरान अभिनव भारत ट्रस्ट का नाम आया। इससे जुड़े कर्नल पुरोहित और कुछ अन्य को गिरफ्तार किया गया। देश को पहली बार पता चला कि अभिनव भारत ट्रस्ट को आरएसएस का आशीर्वाद मिला हुआ है। हाल ही में इसकी पुष्टि उस वक्त हुई जब हिंदू उग्रवाद फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत तमाम लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) ने एक-एक कर छोड़ दिया। अब गांधी की हत्या की दोबारा जांच करने वाली याचिका भी इसी बैनर से जुड़े हुए शख्स ने की है। डॉ. पंकज फणनवीस इसी अभिनव भारत ट्रस्ट के एक ट्रस्टी हैं।

गांधी की हत्या की जांच दोबारा करवाकर संघ दरअसल कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करना चाहता है और अपनी छवि को धोना चाहता है। संघ चाहता है कि गांधी की हत्या के पीछे जवाहर लाल नेहरू की साजिश बताकर गोडसे और संघ के नाम को पाक-साफ घोषित कर दे। इसके बाद गोडसे को एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में पेश कर दिया जाए। इसलिए उसने खुद न मांग कर अभिनव भारत का इस्तेमाल फिर से किया और उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच की मांग कर डाली। याचिका दायर किए जाने के चार दिन बाद केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान आया कि गांधी की हत्या की जांच तो होनी चाहिए क्योंकि आजादी मिलने के बाद गांधी कांग्रेस को भंग करना चाहते थे और कांग्रेस के उस समय के सबसे बड़े नेता ऐसा होने नहीं देना चाहते थे, इसलिए गांधी की हत्या करा दी गई। इस बयान का सीधा सा अर्थ यह है कि यह संघ का नजरिया है जो उमा भारती के जरिए अदालत और मीडिया तक पहुंचाया गया है। मोदी के सत्ता में आने के बाद संघ बहुत सधी हुई चाल से इस तरह के वार कर रहा है। गांधी उसके निशाने पर हमेशा से रहे हैं, चूंकि अब सरकार उसी की है तो इसे अमली जामा पहनाने का वक्त भी आ चुका है।

बहरहाल, अगर आप गांधी ,से नफरत भी करते हों तो भी गांधी के विचारों की हत्या अब नामुमकिन है। संघ अदालत के जरिए भी अपनी इस ओछी हरकत में सफल नहीं हो पाएगा।

कंपनी प्रबंधन की गुंडागर्दी से त्रस्त हुआ मजदूर

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद। कंपनी प्रबंधन की गुंडागर्दी और लेबर कोर्ट से समुचित न्याय न मिलने के कारण मथुरा रोड पर स्थित एक हेलमेट बनाने वाली कंपनी का एक कर्मचारी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। कंपनी के प्रबंधकों ने बिना किसी वजह के उसे नौकरी से निकाल दिया।

इंदिरा नगर के निवासी मनमोहन सिंह बिष्ट ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह अगस्त 2009 से मथुरा रोड पर स्थित हेलमेट बनाने वाली स्टड्स कंपनी के एचआर विभाग में काम कर रहा है। वर्ष 2011 में सतीश देव संदूजा ने कंपनी में जीएम का पदभार ग्रहण किया। सतीश देव अब सीओ के पद पर कार्यरत है। सतीश देव शुरू से उसे परेशान करने लगा। वह बार बार उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता था। 17 अगस्त 2012 को सतीश देव ने झूठा आरोप लगा कर उसे काम से निकाल दिया। जिसके बाद वह लेबर कोर्ट की शरण में चला गया। जहां करीब पांच साल मुकद्दमा चलने के बाद उसके हक में आधा अधूरा फैसला आया है। कोर्ट ने टूटे दिनों का पूरा वेतन दिलवाने की बजाए मात्र 25 प्रतिशत का भुगतान करने और दोबार काम पर रखने के आदेश दिए। मजबूरी में प्रबंधकों ने उसे काम पर रख लिया। लेकिन उसे एचआर विभाग में बैठाने की बजाए एक बदबूदार कमरे में बिना काम दिया बैठा दिया जाता था। उसे परेशान करने के लिए उसकी ड्यूटी रात की शिफ्ट में लगाई जाती थी। इस तरह से प्रबंधन पर उसे इस्तीफा देने का दवाब बना रहा था। उसने तीन साल के बकाया बोनस, लीव इंसेंटिव और कन्वेंस के रुपयों की मांग को वे और ज्यादा चिड़ गए। रुपये न मिलने पर वह अदालत की शरण में चला गया। अदालत से निराशा मिलने पर उसने हाईकोर्ट की शरण ले ली। 18 अगस्त की रात को एक बीमार मजदूर को अस्पताल ले जाने की सलाह देने पर सुरक्षा सुपरवाईजर उदल ने मालिकों की शह पर उसकी पिटाई कर दी। इस बात को लेकर उसे कंपनी से निकाल दिया गया। उसने पुलिस से शिकायत की तो उदल ने अपनी गलती मानते हुए लिखित में माफी मांगी। लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने उसे काम पर नहीं रखा। इस तरह की घटनाओं से मजदूरो को सबक सीखना चाहिए। लगड़ी लूली न्याय व्यवस्था पर निर्भर रहने की अपेक्षा अपने संगठनों को मजबूत एवं जुझारू बना कर इस तरह के कारखानेदारों एवं शोषक वर्ग से संघर्ष करना चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग की शह पर दीवाली पर बिकती है मिलावटी मिठाइयां

फ़रीदाबाद(म.मो.) स्वास्थ्य विभाग अथवा खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की शह पर हर साल दीवाली के मौके पर जिले के लोगों को मिलावटी मिठाईयां खाने को मजबूर होना पड़ता है। दीवाली से करीब एक डेढ़ महीने पहले ही जिले में बड़े पैमाने पर मिलावटी मिठाईयां तैयार होनी शुरू हो जाती है। सबकुछ जानने के बावजूद उस समय विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। जब यह हानिकारक मिठाईयां तैयार होकर बाजारों में बिकने लगती है, उस समय दीवाली से चंद दिनों पहले विभाग नींद से जागता है। कुछ सै पल लेकर जांच की आड़ में अपना वसूली अभियान चलाता है। भेज कर अपना कर्तव्य पूरा कर देता है।

जानकारी के मुताबिक वैसे तो शहर में खाद्य पदार्थो में मिलावट किए जाने के मामले आए दिन सामने आते रहते है। लेकिन त्यौहारों के सीजन में खास कर दीवाली के मौके पर मिलावट का धंधा और तेज हो जाता है। दीवाली के मौके पर शहर में बड़े पैमाने पर मिठाईयों की खपत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दीवाली से करीब एक से डेढ़ महीने पहले ही मिलावटी दूध और दूध बनी चीजों के कारोबार से जुड़े तस्कर सक्रिय हो जाते है। सूत्रों का कहना है कि राजस्थान, उत्तरप्रदेश और मेवात से हर साल दीवाली के मौके पर काफी मात्रा में मिलावटी व नकली खोया और दूध से बनी चीजों की आवक शुरू हो जाती है। मिलावट के कारोबार से जुड़े तस्कर वहां से लाकर यहां के हलवाईयों और मिठाई बनाने वाले छोटे बड़े कारखानेदारों को सप्लाई करते है। दीवाली पर मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में शहर के अनेक हलवाई इन तस्करों से मिलवाटी खोया पहले से खरीद कर स्टाक कर लेते है। हर रोज अन्य शहर से भारी मात्रा में मिलावटी मिठाई यहां लाकर सप्लाई की जाती है। मिलावटी मिठाई की बिक्री को रोकने और अन्य शहर से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने कभी भी गंभीरता से काम नहीं किया। दीवाली से मात्र कुछ दिन पहले विभाग कुछ दुकानों से सैम्पल लेकर अपना वसूली अभियान शुरू करता है। जबकि मिलावट खोरों की लगाम कसने के लिए विभाग को कम से कम दो महीने पहले ठोस कदम उठाने चाहिए। यदि विभाग की पिछले चार सालों की कारगुजारी पर ध्यान दिए जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि वह मिलावट रोकने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही करता है। वर्ष 2014 में दीवाली 23 अक्टूबर को थी। विभाग ने दीवाली से पहले 17 अक्टूबर से कार्रवाई शुरू की और मात्र दस सै पल लिए। वर्ष 2015 में दीवाली 11 नंवबर को थी। विभाग ने पांच नवंबर से काम शुरू किया और 9 नवंबर तक 37 सै पल लिये। वर्ष 2016 में दीवाली 30 अक्टूबर को थी। विभाग ने 26 से 28 अक्टूबर तक मात्र 11 सै पल लेकर अपना काम पूरा कर दिया। इसी तरह इस साल दीवाली 19 अक्टूबर को है। इस बार विभाग ने पांच अक्टूबर से काम शुरू किया। इस बार विभाग ने 13 अक्टूबर तक 25 सै पल ही लिए है।